BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.453/2023

RAGHUBIR SINGH GARIA ……….**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND ………**RESPONDENT**

INDEX

S NO.	PARTICULAR	PAGE NO.
1.	REPLY/OBJECTION ON BEHALF OF THE APPLICANT NAMELY SH. RAGHUBIR SINGH GARIA	1-9
2.	PHOTOGRAPHS SHOWING THE ILLEGAL MINING (16 No.s)	10-25
3.	LETTER DATED 28.04.2021 ISSUED BY DM TO THE RESPONDENT NO.5	26-27
4.	LETTER DATED 23.08.2021 ISSUED BY ADM TO THE DM BAGESHWAR	28-29
5.	LETTER DATED 20.11.2021 ISSUED BY THE MINNING OFFICER TO THE ADM BAGESHWAR	30
6.	LETTER DATED 03.11.2022 ISSUED BY THE MINNING OFFICER TO THE ADM BAGESHWAR	31
7.	VAKALATNAMA	32

APPLICANT

PLACE: Delhi
DATED: 1/4/24

THROUGH

P.K. DASH & ASSOCIATES
ADVOCATE
CHAMBER NO. 821, LAWYERS CHAMBER,
DISTRICT COURTS, ROHINI, DELHI
9968169409/9953929409
pratapkdash@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.453/2023

RAGHUBIR SINGH GARIA **..........APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND **.........RESPONDENT**

REPLY/OBJECTION ON BEHALF OF THE APPLICANT NAMELY SH. RAGHUBIR SINGH GARIA

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present OA is pending before the Hon'ble Tribunal and is fixed for 03.04.2024.

2. That the present Complaint in the OA was filed by the Applicant against the illegal mining of the soap stone in the district Bageswas in Uttrakhand which disturbing the ecological & environmental balance of village Papon by Respondent No.5 Mr. Anand singh Kalakoti by using heavy machinery causing damage to the surroundings mountain and leads to depletion of natural resource, turning fertile land into barren land and also causing scarcity of water in the area.

3. The debris generated from the mining are polluting the punger river and harming aquatic life. On dated 01.08.2023 this Hon'ble tribunal has constitute a joint committee comprising of State PCB & District magistrate, Bageeswar to verify the factual position and to take remedial action. Then the joint committee had filed the report dated 14.09.2023 before this Hon'ble Tribunal after verification.
4. That this Hon'ble Tribunal has seeks repose from the Respondent No.1 State of Uttrakhand through Chief Secretariat, Govt. of Uttrakhand , Respondent No.2 Director, Geology, Bageshwar, Respodnent No.3 District Magistrate, Bageshwar, Respondent No. 4 UKPCB and Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti, RPO, Village & post office Dofar, District Bagewar being project proponent within 2 months, but till date no reply/response has been filed by the Respondents for the compliance of the direction of this Hon'ble Tribunal.
5. That the joint committee has not filed any report on 29.12.2023 mentioned in the order dated 29.01.2024, only one reply was filed

by "SJP Global Limited as Respondent No. 4 in the matter Jasbir Singh vs State of UP & Ors, but inadvertently mentioning the OA No./453/2023 as the present matter.

6. That on the hearing of the present matter on 29.01.2024 counsel representing the state of Uttrakhand assured that meanwhile no illegal mining will be permitted in the area but despite the assurance no action is taken by the state administration to stop the illegal mining which is till continuing in that area by which may impact adversely against the State administration before the Hon'ble Tribunal for false assurance. Copy of the Photographs filed with objection which clearly shown this fact.

7. That from the perusal of the report of the joint committee composing of state of PCB, U.K. and district Magistrate Bageshwar filed a Joint Report on 15.03.2023 as well as vide order bearing no. 482/TIS-mining/2022-23- Dated 23.02.2023, but till date the Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti, RPO, Village & post office Dofar, District Bagewar being project proponent without any

4

fear didn't stop the mining beside the strict direction of this Hon'ble Tribunal.

8. That as the inspection made by PCB as per order of 01.08.2023 by Hon'ble NGT in this regard through Dr. D.K. Joshi, Area officer vide report bearing No. UKPCB/C/23/1538-537 dated 12.10.2023 that due to this illegal mining by the Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti, the environment/ecological balance is highly affected as the lease holder of mine grocely abused the terms and condition of the mining rules.

9. That as per the order bearing no. 604/Tis-mining/2022-23, dated 11.04.2023 the district administration stopped the illegal mining by the Respondent No.5 but till date the Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti without any hindrance continuously engaged in the illegal mining with full fledge violation of all the mining rules till date despite objection raised by the local affected people of village papon including Applicant.

10. That the Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti,is excavating the mine since 1998 and despite restriction by DM, he is now busy in mining with heavy machine.

11. That the Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti, till didn't filled the pit for which land sliding is continuing and due to which the forest, agriculture land as well as the houses in that area are in danger condition and the eco system is Dis balanced. In rainy season the pits filed with water and due to that the nearby nala and river got polluted causinf harm to the eco system.

12. That Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti, also till date not disbursed the compensation to the affected persons and not completed the alternative accommodation of the affected person.

13. That on one hand the Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti with malafide intention to linger on the matter has not filed any reply till date, in the other hand Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti, had continue the mining day and night by using heavy machine illegally without following the mining rule despite

direction from the DM to stop the illegal mining. The state & district administration hands in glove with the Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti, intentionally allow him to continue the illegal mining with the reason best known to them.

14. That the respondent No.5 in his Affidavit dated 19.06.2023 sweat that he has completed the safety wall and filled the Pits as per the direction of the DM village Papon, but no safety wall is ever been construction by the Respondent No.5 Mr. Anand Singh Kalakoti till date. The other deposition in that affidavit are false required stern action against the deponent/Respondent No.5.

It is therefore requested that the objection of the Applicant may be taken on record and stern action against the Respondent in view of the above mentioned facts & circumstances.

7

Any other further Order may kindly be passed in view of the above mentioned facts and circumstances in the interest of justice.

APPLICANT

PLACE: Delhi
DATED: 1.4.2024.

THROUGH

P.K. DASH & ASSOCIATES
ADVOCATE
CHAMBER NO. 821, LAWYERS CHAMBER,
DISTRICT COURTS, ROHINI, DELHI
9968169409/9953929409
pratapkdash@gmail.com

8

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.453/2023

RAGHUBIR SINGH GARIA ....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ors ....**RESPONDENT**

AFFIDAVIT

I, Raghubir Singh Gaira, S/o Lt. Sh. Daulat Singh, R/o C-7/5, Sector-5, ROhini, Delhi110085, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That Deponent is the Applicant in the above noted case and well conversant with facts and circumstances of the case and as such I am competent to swear the affidavit.
2. That the accompanying Objection have been drafted by my Counsel at my instance and instruction and the contents of the same have been explained to me in vernacular language and the same are found to be true and correct to my knowledge and belief.
3. That the contents of the same and may kindly be read as part and parcel of this affidavit which is not repeated herein for the sake of brevity.

The Seal of Oath Commissioner S.L. No. App. 21/04

9

DEPONENT

VERIFICATION

1 APR 2024

Verified the contents of this affidavit are true and correct to my knowledge and the nothing has been concealed therefrom.

Verified this petition on this ____day of April, 2024, Delhi.

I Identify the Deponent who has signed in my presence.

DEPONENT

The Seal of Oath Commissioner
S.L No. 77/2022
HEMA
App. By. Delhi Hight Court
Period - 01/05/2022
to 30/04/2024
Rohini Court, Delhi

1/4/24

CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri / Smt. / Km. Ranbir
S/o / W/o / D/o Daulat Singh
R/o
1 APR 2024
Identified by Shri / Smt.
has solemnly affirmed before me at Delhi
On .... as Sl. Nos .... that the contents of the affidavit which has been read & explained to his / her are true & Correct to his / her / knowledge.

Oath Commissioner

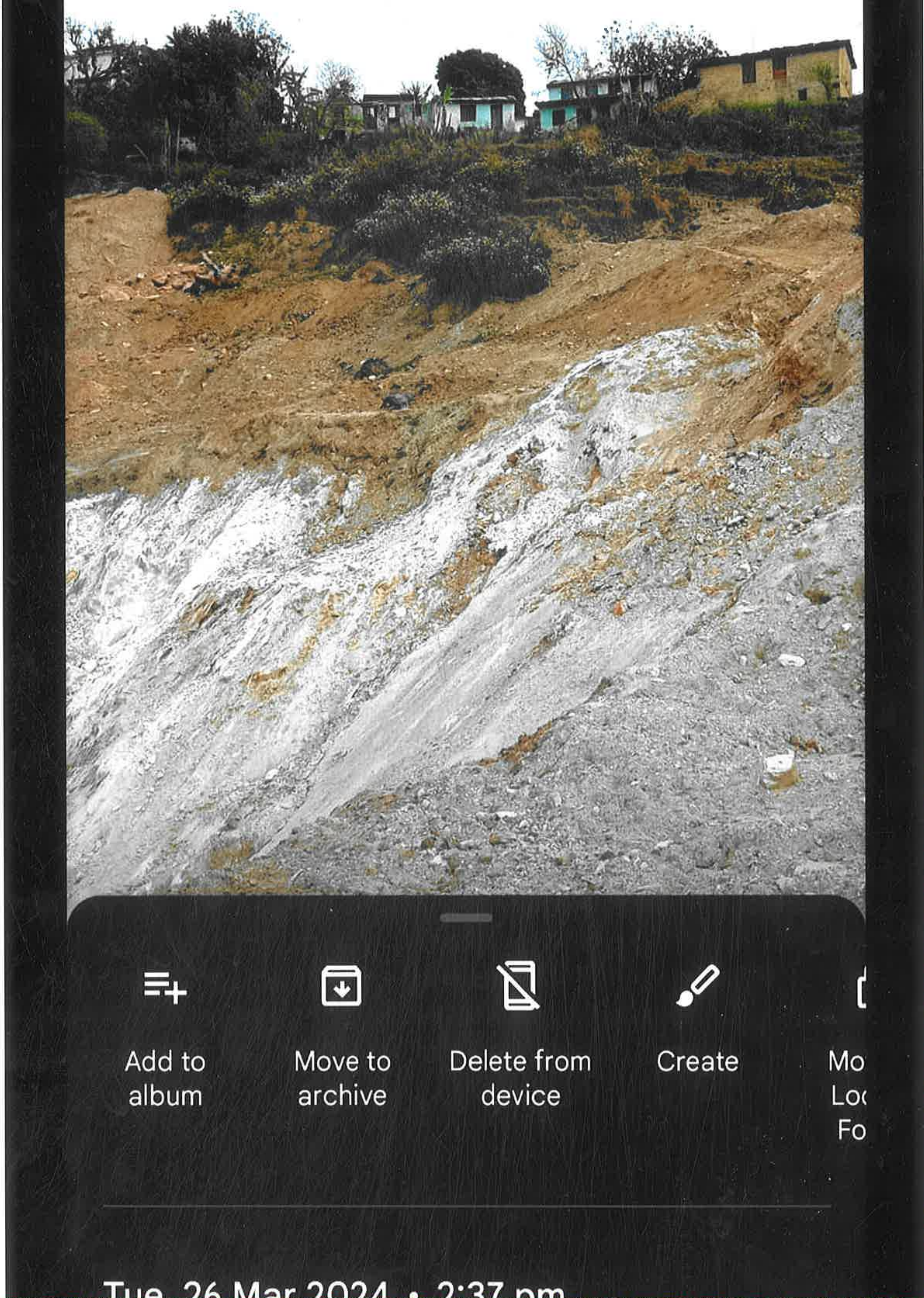
Add to album
Move to archive
Delete from device
Create
Tue, 26 Mar 2024 • 2:37 pm

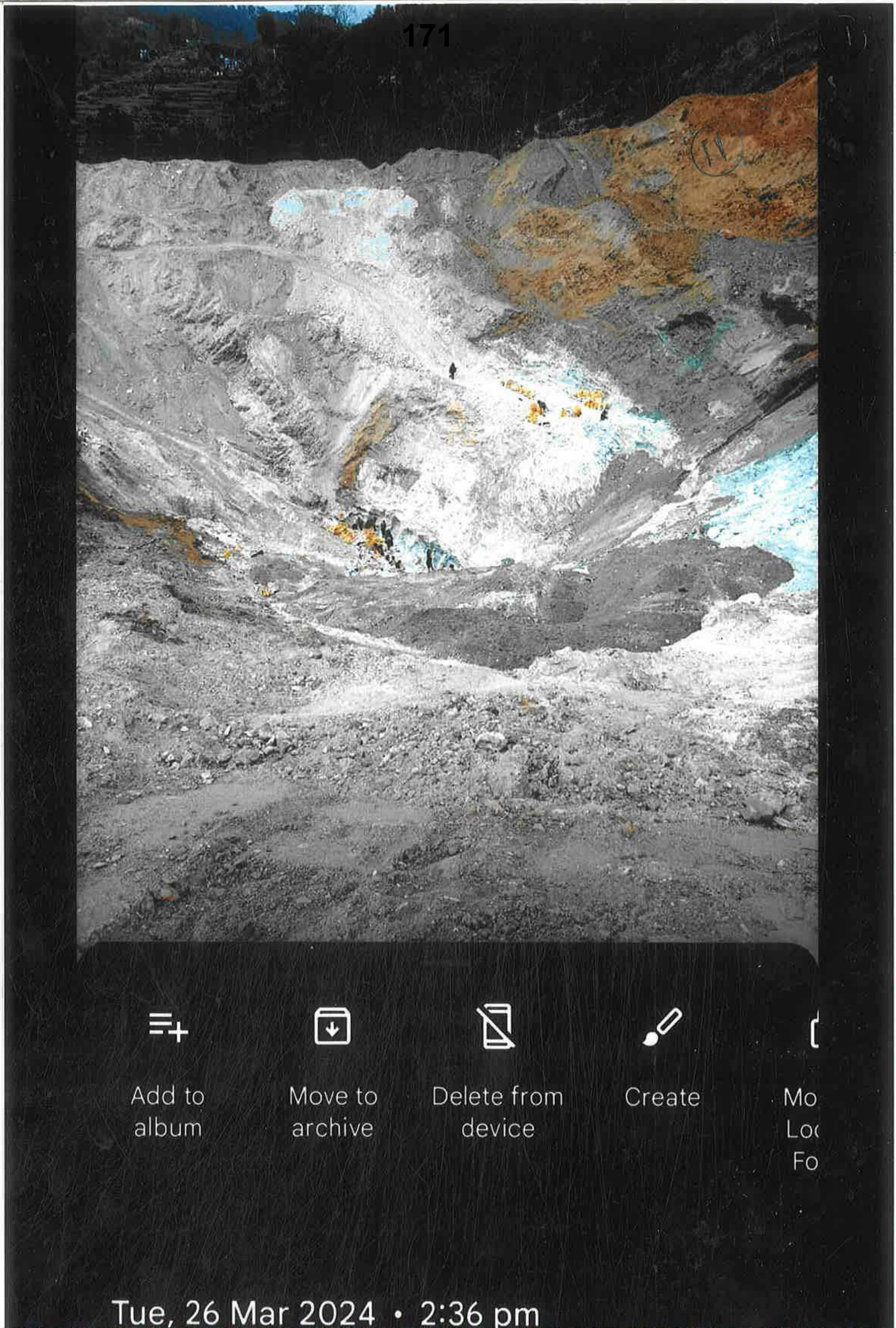
Add to
album
Move to
archive
Delete from
device
Create
Tue, 26 Mar 2024 • 2:36 pm

12

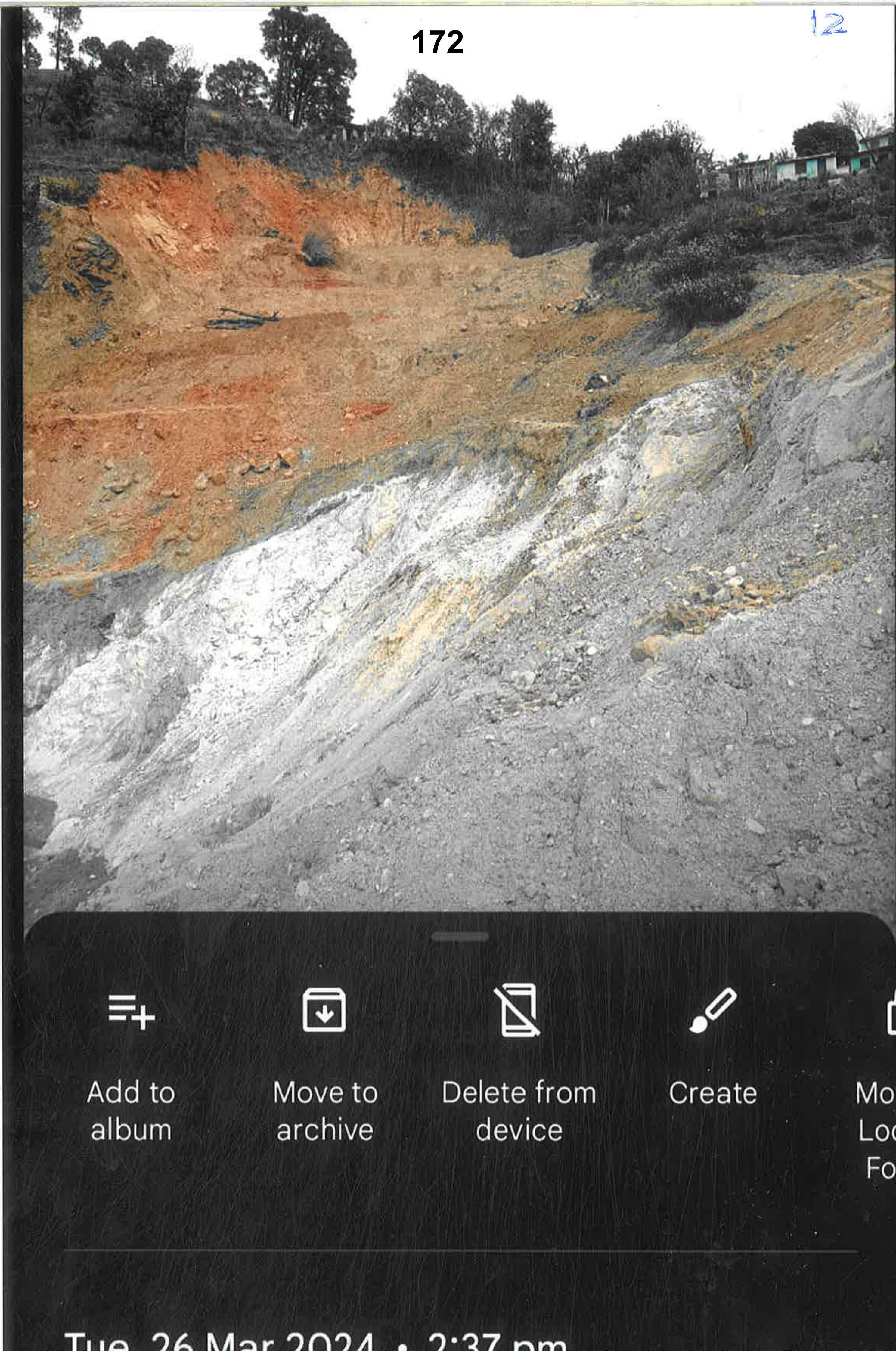
Add to album
Move to archive
Delete from device
Create
Mo
Lo
Fo
Tue, 26 Mar 2024 • 2:37 pm

Add to album

Move to archive

Delete from device

Create

M
L
F

Add to album

Move to archive

Delete from device

Create

Mo
Lo
Fo

Tue, 26 Mar 2024 • 2:37 pm

4:19 Jio 65% 15

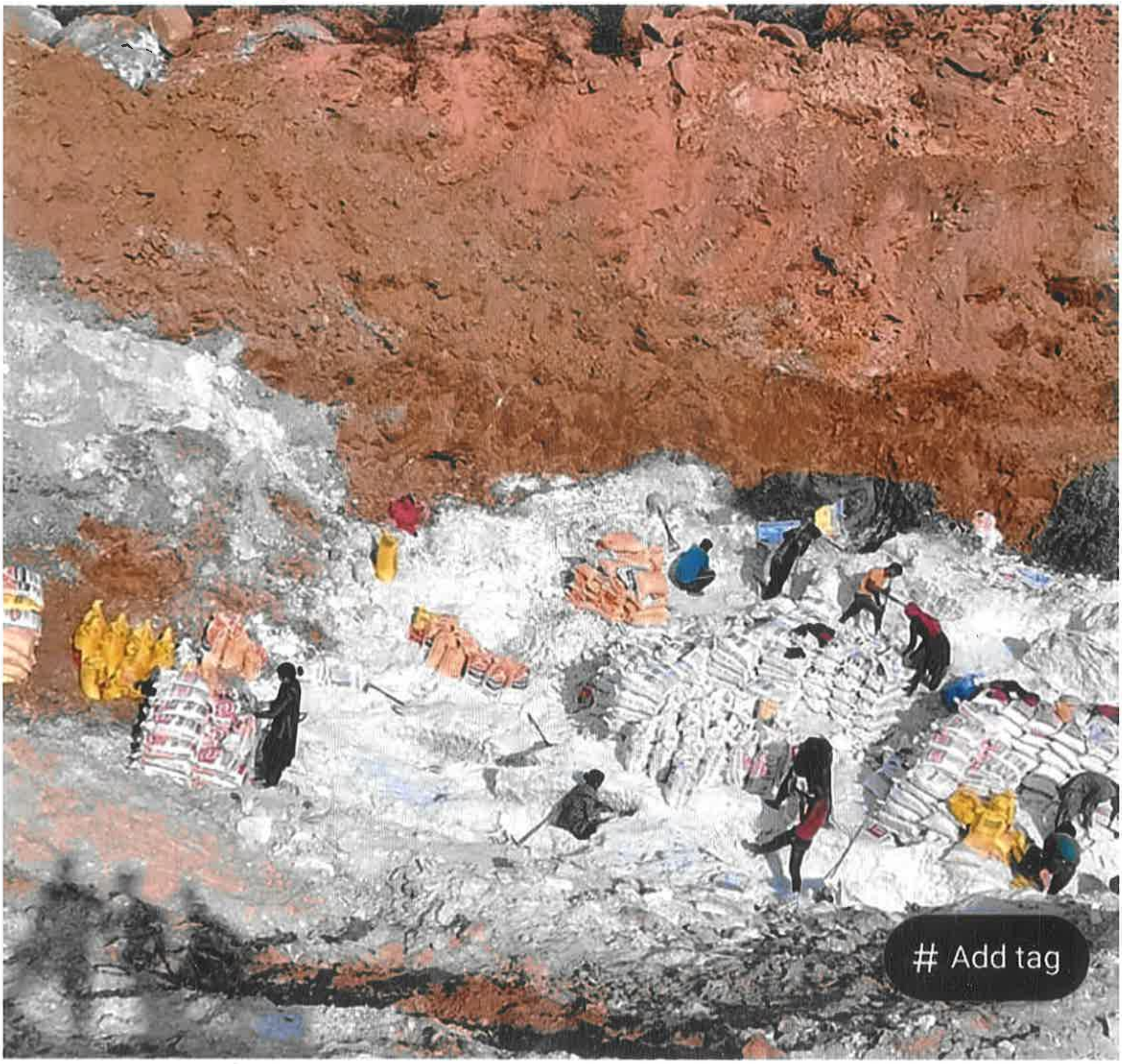

29 December 2023 1:01 pm

Edit

20231229_125822.mp4

/Internal storage/DCIM/Camera

Galaxy A14 5G

411.27 MB | 1080x1920 FHD

3:19 H.264 AAC | 30fps

4:21 Jio Vo)) LTE1 5G 65% 16

29 December 2023 10:49 am

Edit

20231229_104719.mp4

/Internal storage/DCIM/Camera

Galaxy A14 5G

205.86 MB 1920x1080 FHD

1:39 H.264 AAC 30fps

3:30 Jio 71% 17

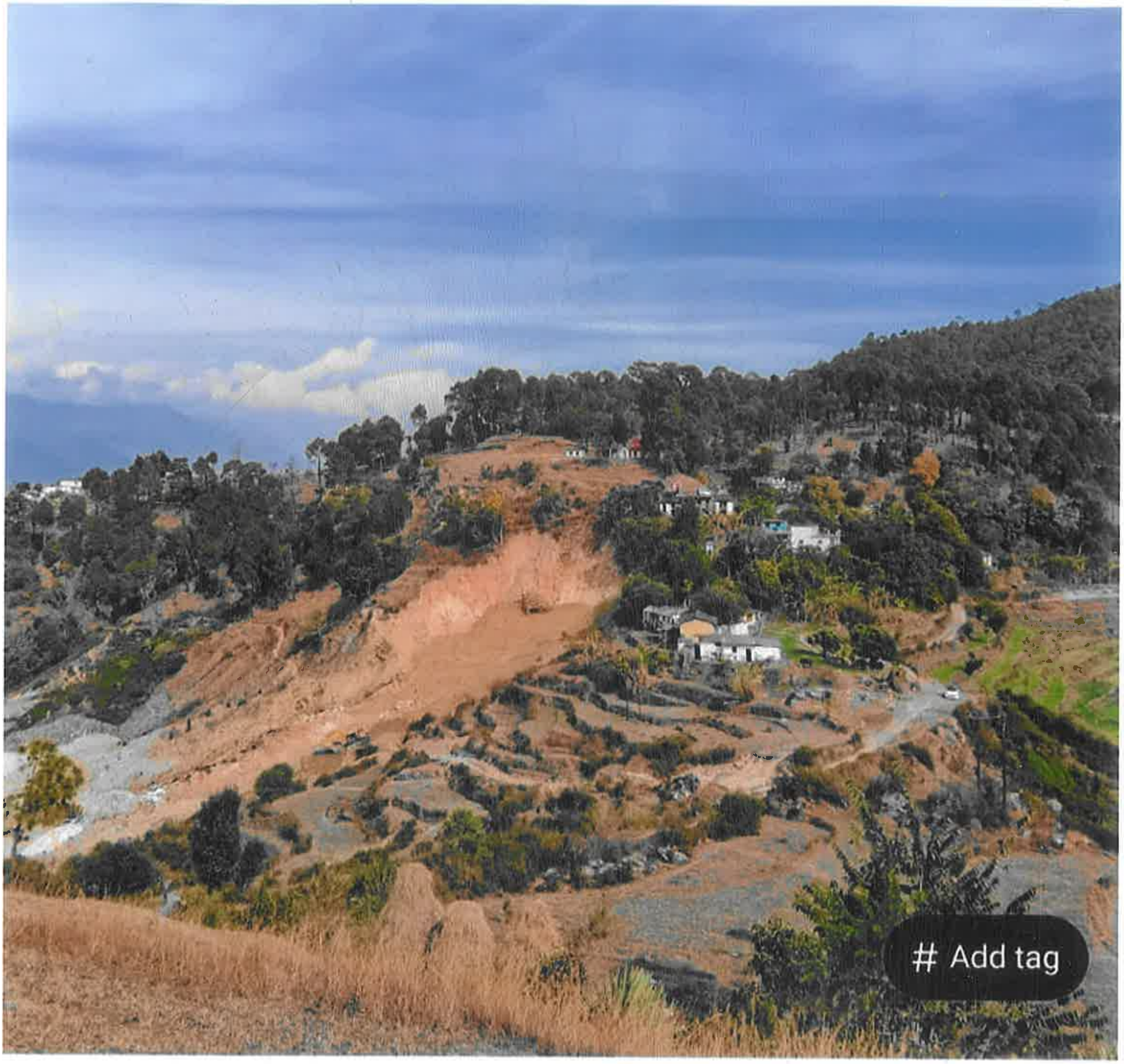

30 December 2023 1:00 pm Edit

20231230_130036.jpg

/Internal storage/DCIM/Camera

Galaxy A14 5G

3.92 MB | 4080x3060 | 12MP

ISO 25 | 26mm | 0.0ev | F1.8 | 1/658 s

4:21 Jio Vo)) LTE1 5G 65% 13

29 December 2023 10:49 am Edit

20231229_104719.mp4

/Internal storage/DCIM/Camera

Galaxy A14 5G

205.86 MB 1920x1080 FHD

1:39 H.264 AAC 30fps

4:19 Jio 65% 19

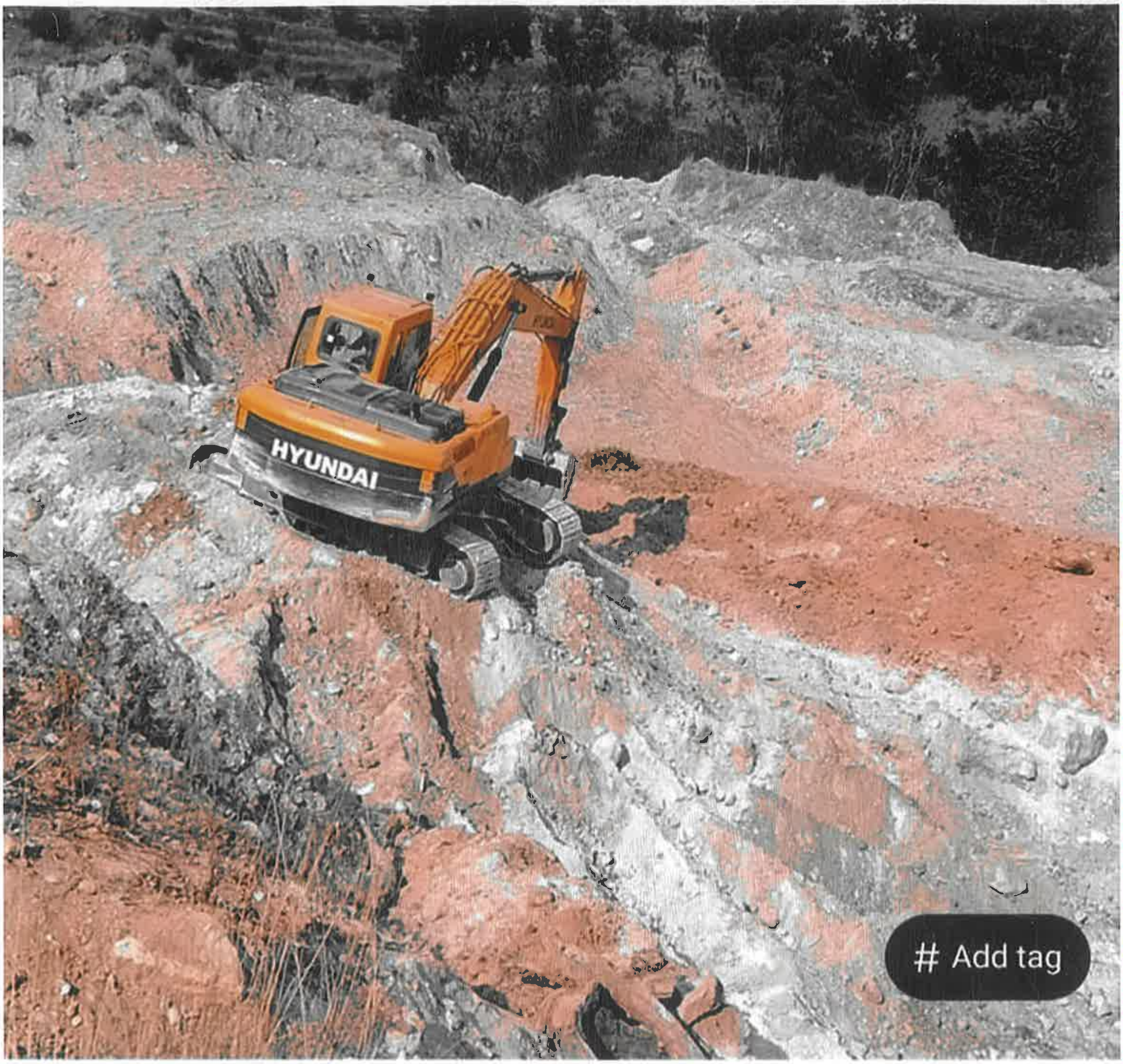

29 December 2023 1:01 pm

Edit

20231229_125822.mp4

/Internal storage/DCIM/Camera

Galaxy A14 5G

411.27 MB | 1080x1920 | FHD

3:19 | H.264 | AAC | 30fps

20

4:21 Jio 65%

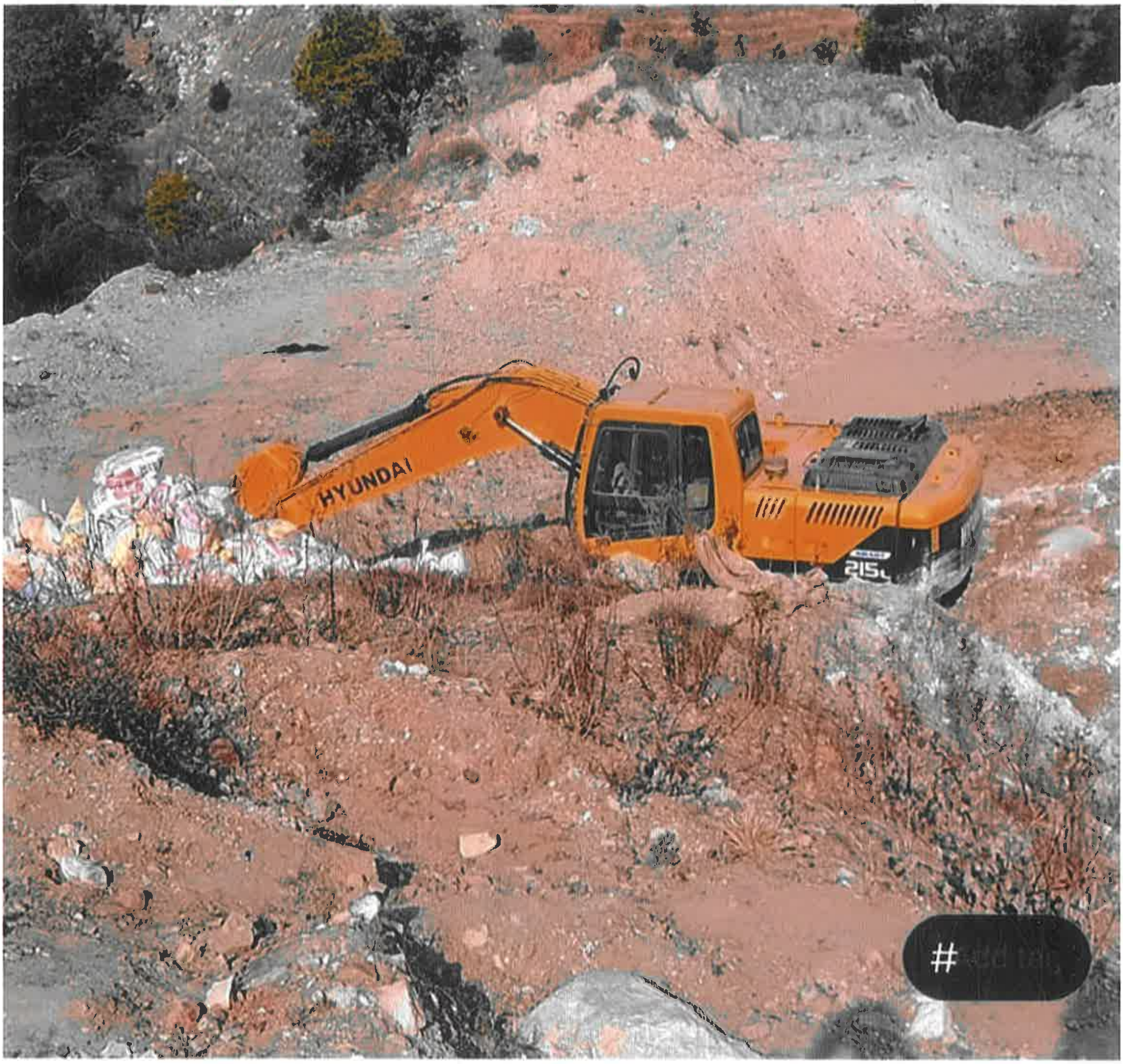

29 December 2023 10:49 am

Edit

20231229_104719.mp4

/Internal storage/DCIM/Camera

Galaxy A14 5G

205.86 MB | 1920x1080 FHD

1:39 H.264 AAC | 30fps

21

3:31 Jio Vo)) LTE1 5G 71%

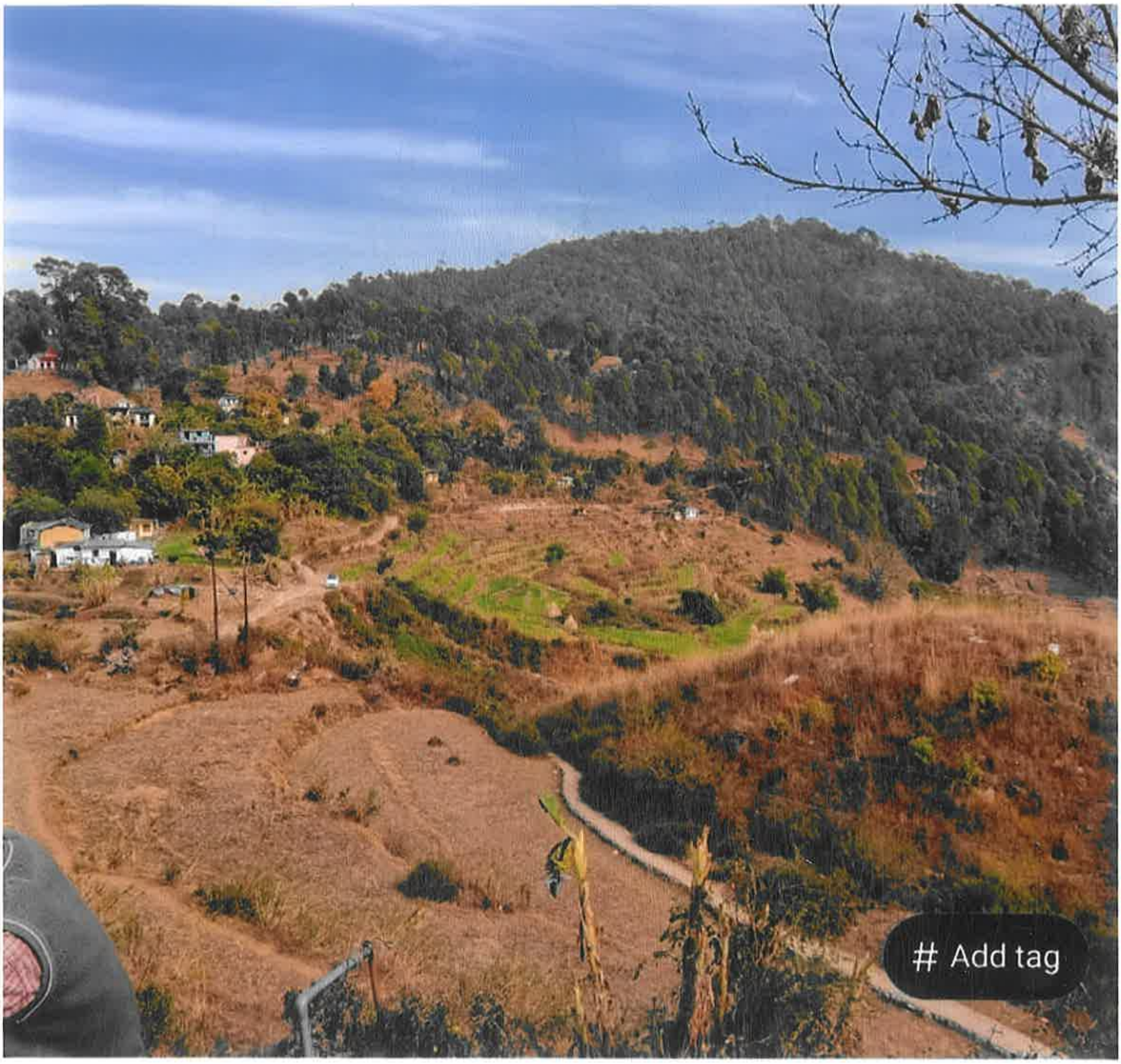

30 December 2023 12:50 pm Edit

20231230_125052.jpg

/Internal storage/DCIM/Camera

Galaxy A14 5G

4.88 MB 4080x3060 12MP

ISO 25 26mm 0.0ev F1.8 1/410 s

24

मानचित्र ग्राम पपों तहसील ... जनपद बागेश्वर

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में ग्राम पपों तहसील व जनपद बागेश्वर में ... पर स्वीकृत संग्र सीमा चिन्हित क्षेत्र "A B C D E F G H I J K L A" क्षेत्रफल 4.25 एकड़/1.717 हैक्टर, (आख्या पत्र दिनांक 9-3-09)

25

...नीय लोगों लगातार आखिरकार शासन ने

...गी ब्लाक मुख्यालय में

...गा मंथन

...कि सभी विभाग ...में सामंजस्य ...ही जागरूक कर ...या जा सकता ...न व राजस्व ...दिक्कतों के ...ली। एसडीएम ...समय को कम ...गों की समस्याओं को अवगत करा ...ा दिया। बैठक में ...गी, रेंजर जैरासी ...पेशकार ...

देकर करीब 50 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी है। स्थानीय लोगों

खनन से रास्ते व पानी की लाइन क्षतिग्रस्त

जासं, बागेश्वर : दोफाड़ के पर्पो के ग्रामीणों ने खनन पर रोक लगाने की मांग की है। गांव के रास्ते, पेयजल लाइन आदि क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खान स्वीकृति से पूर्व हुए समझौते भी पूरे नहीं हो सके हैं। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि पर्पो गांव में आनंद सिंह कालाकोटी की खान है। लंबे समय से दिनरात लोडर मशीनों से खनन हो रहा है। क्षेत्र में अनुसूचित जाति के परिवार निवास करते हैं। खनन से उनके आवासों को खतरा बना हुआ है। कई घरों में दरारें आ गई हैं। गत वर्ष पट्टाधारक अपने सहयोगी हरीश तिवारी और एक अन्य के साथ गांव में आए थे। ग्रामीणों से कहा गया कि वह अनापत्ति दें, खनन का विरोध न करें। जिसके एवज में उन्हें अलग से [illegible] मकान बनाकर दिया जाएगा। [illegible] में हस्ताक्षर किए गए।

...लोगों को जाम के ... मिल सकेगी।

राइंका ...

जागरण इंपैक्ट

जागरण संवाददाता, ... जागरण की खबर का असर हुआ है। खब... बाद जलसंस्थान ने ने तत्परता दिखाते ... इंटर कालेज चौंट में ... संयोजन को ठीक ... आपूर्ति बहाल की ... आने पर बच्चे, ... जागरण का आभा...

बुधवार को '... शौचालय में गंद... लोकप्रिय अखबा... खबर प्रकाशित ... से लगे राजकीय ... में पढ़ रहे 400 ... पानी की समस्या ... रहा था। शौच अ... परेशानी हो रही ... मध्याह्न भोजन के ... लाने को मजबूर हो ... संयोजन होने के

(26) (6)

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्या:- 1108 /तीस-खनन/2020-21 दिनांक 20 / 09 / 2021
'कारण बताओ नोटिस'

श्री आनंद सिंह कालाकोटी,
पट्टाधारक सोपस्टोन माइन,पपों,
तहसील व जनपद बागेश्वर।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत छाया प्रति सत्यापित
लोक सूचना अधिकारी जिला कार्यालय बागेश्वर

विषय:- खड़िया खनन सत्र के उपरांत भी खनन क्षेत्र में बने गड्ढों का समतलीकरण न किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक उपजिलाधिकारी,बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या-1476/रीडर-खनन जांच/2020-21 दिनांक 19 अगस्त, 2021 से अवगत कराया गया है कि ग्राम पपों तहसील बागेश्वर अंतर्गत पट्टाधारक आनंद सिंह कालाकोटी ग्राम पपों के नाम खनन पट्टा स्वीकृत है,जिसमें पट्टाधारक द्वारा जे0सी0वी0 के माध्यम से खड़िया खनन का कार्य किया गया है। खनन क्षेत्र के आस-पास अनुसूचित जाति के गरीब परिवार रहते हैं,खड़िया खनन से आवासीय मकानेां को खतरा हो गया है तथा घरों के आगे दरारें पड़ने लगी हैं। खनन क्षेत्र का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपनी माईन क्षेत्र में बनाये गये गड्ढों का समतलीकरण नहीं किया गया है एवं खनन क्षेत्र में बने गड्ढों को भरने के लिए राजस्व उपनिरीक्षक के स्तर से नोटिस दिये जाने उपरांत भी पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में बनाये गये गड्ढों को नहीं भरा गया है। खनन क्षेत्र में बने गड्ढे वर्तमान में पानी से लबालब भरे हुए हैं तथा गड्ढों में भरे पाने के कारण आस-पास के खेतों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गयी हैं तथा सार्वजनिक रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है।

यह भी अवगत कराया गया है कि खनन क्षेत्र में बने गड्ढे से वर्तमान में बलराम पुत्र लछम राम, हीरा देवी पत्नी मोहन राम, तेज राम पुत्र फकीर राम के मकानेां को खतरा हो गया है। उक्त लोगों के अलावा मौके पर अन्य लोगों के भी मकान हैं,जो गांव में ही अन्यत्र मकान बनाकर रह रहे हैं। पट्टाधारक को कई बार खनन क्षेत्र मे बने गड्ढों को बंद करने को कहे जाने उपरांत भी संबंधित द्वारा खनन क्षेत्र में बने गड्ढे का समतलीकरण नहीं किया जा रहा है, खनन क्षेत्र में बनाये गये गड्ढों के समतलीकरण न किये जाने तथा खनन क्षेत्रान्तर्गत स्थित मकानों की सुरक्षा के दृष्टिगत संबंधित पट्टाधारक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा उक्त पट्टाधारक के खनन क्षेत्रान्तर्गत हो रहे भूस्खलन एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 29.7.2021 को समस्त ग्रामवासी ग्राम सभा पपों की ओर से भी शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गयाहै।

खनन क्षेत्र में स्थित खनन पिटों को भरे जाने ,खनन क्षेत्र से लगे आवासीय मकानेां की मरम्मत व सुरक्षा आदि के संबंध में पट्टाधारक को उपजिलाधिकारी,बागेश्वर के स्तर से पट्टाधारक को निर्गत नोटिस संख्या-1406/रीडर-खनन नोटिस/2021 दिनांक 08 जुलाई, 2021 दिनांक 08.7.2021 से पुन: निर्देशित किया गया है किंतु नोटिस प्राप्त होने उपरांत भी पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र में स्थित पिटों को नहीं भरे जाने व न ही भूस्खलन से प्रभावित हो रहे आवासीय भवनों की सुरक्षा के दृष्टिगत तहसीलदार,बागेश्वर व उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक को तत्काल खनन क्षेत्र का मौका मुआयना कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के साथ ही खनन क्षेत्र में अनियमितता दृष्टिगोचर होने पर संबधित पट्टाधारक के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए संबंधित खनन पट्टे के विरूद्ध नियमानुसार यदि निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी हो तों आवश्यक कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया,जिसके अनुपालन में दिनांक 30.7.2021 को खनन विभाग की ओर से सर्वेक्षक व राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा खनन क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर तहसीलदार के माध्यम से प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया है कि संयुक्त निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित रहने के लिए पट्टाधारक को सूचित किये जाने उपरांत भी पट्टाधारक अथवा उसका कोई भी प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर पट्टाधारक द्वारा खनन पिट को नहीं भरा गया है ,जिस कारण खनन क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है। पट्टाधारक द्वारा अपने आवेदित क्षेत्र के कुल 0.330 है0 भूभाग पर खनन कार्य किया गया है तथा आवेदित क्षेत्र का 01.420 है0 क्षेत्रफल हिस्सा भूस्खलन से प्रभावित है। खनन क्षेत्र में भूस्खलन के कारण बल राम पुत्र लछम राम की गौशाला व लोहारघर(आफर)पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं शेष भूस्खलन से प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानेां में भेजा गया है। क्षेत्र में उक्त भूस्खलन पट्टाधारक द्वारा समय से खनन पिट को न भरने के कारण हो रहा है तथा पट्टाधारक को नोटिस दिये जाने उपरांत भी उनके द्वारा उक्त पिटों को नहीं भरा जा रहा है तथा न ही पिट में भरे हुए पानी की निकासी का कोई प्रबंध किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारक द्वारा उन्हें नापखेतों से खनन के एवज में दिये जाने वाले मुआवजे की भी धनराशि भी नहीं दी गयी है।

उपजिलाधिकारी ,बागेश्वर द्वारा अपनी आख्या मे यह भी अवगत कराया गया है कि खनन क्षेत्र में भूस्खलन से कई वृक्ष व आम सार्वजनिक रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं तथा मौके की स्थिति के अनुसार खनन पिट को भरा जाना आवश्यक है,किंतु पट्टाधारक को बार-बार निर्देशित करने उपरांत भी पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पिट को नहीं भरा जा रहाहै,जिस कारण खनन क्षेत्र में भूस्खलन की

--2

(27) (7)

खनन पिट न भरा जाना तथा खनन क्षेत्र में संभावित भूस्खलन की संभावना बढ़ गयी है। पट्टाधारक को बार-बार निर्देशित करने उपरांत भी

उल्लंघन के अंतर्गत आता रोकथाम के सुरक्षात्मक उपाय न करना उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के तहत खनन शर्तों के

है,जिनका पालन करने में पट्टाधारक असफल रहा है। उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे के निरस्त किये जाने की संस्तुति अपनी आख्या में की गयी है।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय आदेश संख्या-815 दिनांक 8.6.2021 से वर्षाकाल में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन की संभावना के दृष्टिगत दिनांक 15.6.2021 से 30.09.2021 तक सोपस्टोन खनन पट्टो मे खनन कार्य बंद/स्थगित किये जाने के निर्देश के साथ-साथ दिनांक 16.6.2021 से दिनांक 30.6.2021 तक खनन कार्य से बने गड्ढों को समतल करने व किसी प्रकार के भूस्खलन आदि के बचाव के लिए क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित किये जाने हेतु पट्टाधारकों को आदेशित किया गया है।

उपजिलाधिकारी ,बागेश्वर की आख्यानुसार संयुक्त निरीक्षण के समय आप न स्वंय उपस्थित हुये और न ही आपका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। आप द्वारा उपजिलाधिकारी,बागेश्वर के स्तर से नोटिस निर्गत किये जाने उपरांत भी खनन कार्य मे बने गड्ढों को समतल/भरा नहीं गया है और न ही पिट में भरे हुए पानी की निकासी का कोई प्रबंध किया जा रहा है,मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा भी उन्हें नाप खेतों से खनन के एवज में दिये जाने वाले मुआवजे की धनराशि भी नही दिया जाना बताया गया है, खनन क्षेत्र मे भूस्खलन से कई वृक्ष व आम सार्वजनिक रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। खनन पिटों में पानी भरे होने व उनके खुले रहने के कारण इस कृत्य से हो रहे भूस्खलन से भविष्य में किसी भी जानमाल,पशुहानि की दुर्घटना की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

आप द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्रान्तर्गत जे0सी0बी0 मशीन से अवैज्ञानिक तरह से खनन कार्य किये जाने के कारण आवासीय भवनों को खतरा उत्पन्न हो चुका है तथा कई आवासीय भवनों में दरारे भी आ चुकी हैं। खनन उपरान्त गढढों का समतलीकरण नहीं किया गया है तथा गढढों में पानी भरे होने के कारण आस-पास की भूमि में दरारें, भूस्खलन एवं सार्वजनिक रास्ते क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

अत: उपरोक्त के संबंध में नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपना लिखित पक्ष पुष्ट साक्ष्यों के इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि किन कारणों से आपके द्वारा खनन शर्तों के परिपालन के साथ-साथ उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का परिपालन नहीं किया गया है? यह भी स्पष्ट करें कि खनन शर्तों के उल्लंघन व आदेशों की अवहेलना के दृष्टिगत उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम-60 के अधीन क्यों न आपके खनन पट्टे के निरस्तीकरण की अनुसंशा शासन/निदेशालय को कर दी जाय। नियत समयान्तर्गत आपका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त उक्त के दृष्टिगत आगामी खनन सत्र में अग्रिम आदेशों तक आपके खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य पर रोक लगायी जाती है। यह नोटिस जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 25.09.2021 क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

प्रभारी अधिकारी(खनन),
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.उपजिलाधिकारी,बागेश्वर।

2.उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,बागेश्वर।

3.तहसीलदार,बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि नोटिस की प्रति संबंधित पट्टाधारक /अधिकृत प्रतिनिधि पर तामील कराने उपरांत अपनी तामीली रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी(खनन),
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत छाया प्रति सत्यापित
लोक सूचना अधिकारी
जिला कार्यालय बागेश्वर

(28)

(A)

सूचना अधिकार अधिनियम 2005
के अन्तर्गत छाया प्रति सत्यापित

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

लोक सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय बागेश्वर

संख्या- 1476 /रीडर-खनन जांच/2020-21 अगस्त, 2021

OC/M.C

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

3456 23-8-21

विषय- खडिया खनन सत्र के उपरान्त भी खनन क्षेत्र में बने गडडो का समतलीकरण न किये जाने विषयक।

23.8.21

महोदय,

उपरोक्त् विषयक राजस्व उपनिरीक्षक, चौरा द्वारा जरिये तहसीलदार, बागेश्वर उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया है कि ग्राम पपों तहसील बागेश्वर अन्तर्गत पट्टाधारक आनन्द सिंह कालाकोटी ग्राम पपों के नाम खनन से खनन का पट्टा स्वीकृत है। जिसमें पट्टाधारक द्वारा जे0सी0बी0 के माध्यम से खडिया खनन का कार्य किया गया है। खनन क्षेत्र के आस-पास अनुसूचित जाति के गरीब परिवार रहते हैं। खडिया खनन से आवासीय मकानों को खतरा हो गया है तथा घरों के आगे दरारें पडने लगी हैं। खनन क्षेत्र का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपनी माईन क्षेत्र में बनाये गये गडडों का समतलीकरण नहीं किया गया है। खनन क्षेत्र में बने गडडों को भरने के लिए राजस्व उपनिरीक्षक के स्तर से नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में बनाये गये गडडों को नहीं भरा गया है। खनन क्षेत्र में बने गडडे वर्तमान में पानी से लबालब भरे हुए है तथा गडडों में भरे पानी के कारण आस-पास के खेतों में बडी-बडी दरारे आ गयी हैं तथा सार्वजनिक रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अपनी आख्या में यह भी अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र में बने गडडे से वर्तमान में बल राम पुत्र लछम राम, हीरा देवी पत्नी मोहन राम, तेज राम पुत्र फकीर राम के मकानों को खतरा हो गया है। उक्त लोगों के अलावा मौके पर अन्य लोगों के भी मकान है, जो गांव में ही अन्यत्र मकान बना कर रह रहें हैं। पट्टाधारक को कई बार खनन क्षेत्र में बने गडडों को बन्द करने को कहे जाने उपरान्त भी सम्बन्धित द्वारा खनन क्षेत्र में बने गडडे का समतलीकरण नहीं किया जा रहा है। खनन क्षेत्र में बनाये गये गडडों के समतलीकरण न किये जाने तथा खनन क्षेत्रान्तर्गत स्थित मकानों की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित पट्टाधारक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पट्टाधारक के खनन क्षेत्रान्तर्गत हो रहे भूस्खलन एवं अन्य अनियमिताओं के संबंध में दिनांक 29.07.2021 को समस्त ग्रामवासी ग्राम सभा पपों की ओर से भी शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

खनन क्षेत्र में स्थित खनन पिटों को भरे जाने, खनन क्षेत्र से लगे आवासीय मकानों की मरम्मत व सुरक्षा आदि के संबंध में पट्टाधारक को इस कार्यालय से दिनांक 08.07.2021 नोटिस प्रेषित कर पुनः निर्देशित किया गया है। नोटिस पट्टाधारक को प्राप्त होने उपरान्त भी पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र में स्थित पिटों को नही भरे जाने व न ही भूस्खलन से प्रभावित हो रहे आवासीय भवनों की सुरक्षा के दृष्टिगत कोई सुरक्षात्मक कार्य न किये जाने व ग्रामीणों से प्राप्त हो रही शिकायत के दृष्टिगत तहसीलदार, बागेश्वर व उपनिदेशक/ भूवैज्ञानिक को तत्काल खनन क्षेत्र का स्वयं मौका मुआयना कर वस्तु स्थित से अवगत कराने तथा साथ ही खनन क्षेत्र में अनियमित्ता दृष्टिगोचर होने पर सम्बन्धित पट्टाधारक के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सम्बन्धित खनन पट्टे के विरूद्ध नियमानुसार, यदि निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी हो तो आवश्यक कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 30.07.2021 को खनन विभाग की ओर से सर्वेक्षक व राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा खनन क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर जरिये तहसीलदार, आख्या प्रेषित करते हुए अवगत कराया है कि संयुक्त निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित रहने के लिए पट्टाधारक को सूचित किये जाने उपरान्त भी पट्टाधारक अथवा उसका कोई भी प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर पट्टाधारक द्वारा खनन पिट को नहीं भरा गया है। जिस कारण खनन क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है। पट्टाधारक द्वारा अपने आवेदित क्षेत्र के कुल 0.330 है0 भूभाग पर खनन कार्य किया गया है, तथा आवेदित क्षेत्र का 01.420 है0 क्षेत्रफल हिस्सा भूस्खलन से प्रभावित है। खनन क्षेत्र में भूस्खलन के कारण बल राम पुत्र लछम राम की गौशाला व लोहारघर (आफर) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। शेष भूस्खलन से प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है।

क्षेत्र में उक्त भूस्खलन पट्टाधारक द्वारा समय से खनन पिट को न भरने के कारण हो रहा है तथा पट्टाधारक को नोटिस दिये जाने उपरान्त भी उनके द्वारा उक्त पिटों को नही भरा जा रहा है तथा न ही पिट में भरे हुए पानी की निकासी का कोई

क्रमशः....02

जिलाधिकारी उत्तराखण्ड

29

5

-2-

प्रबन्ध किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारक द्वारा उन्हें नाप खेतों से खनन की एवज में दिये जाने वाले मुआवजे की भी धनराशि भी नहीं दी गयी है।

खनन क्षेत्र में भूस्खलन से कई वृक्ष व आम सार्वजनिक रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। मौके की स्थित के अनुसार खनन पिट को भरा जाना आवश्यक है। किन्तु पट्टाधारक को बार-बार निर्देशित करने उपरान्त भी पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पिट को नहीं भरा जा रहा है। जिस कारण खनन क्षेत्र में भूस्खलन की सम्भावना बढ गयी है। पट्टाधारक को बार-बार निर्देशित करने उपरान्त भी खनन पिट न भरा जाना तथा खनन क्षेत्र में सम्भावित भूस्खलन की रोकथाम के सुरक्षात्मक उपाय न करना उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के तहत खनन शर्तो के उल्लंघन के अन्तर्गत् आता है। उपरोक्त शर्तो का पालन करने में पट्टाधारक असफल रहा है। जिस कारण पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे के निरस्त किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005
के अन्तर्गत छाया प्रति सत्यापित

लोक सूचना अधिकारी
जिला कार्यालय बागेश्वर

(30)

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्याः-162/तीस-खनन/2020-21 दिनांक 20/1/ /2021

1. उपजिलाधिकारी,
   बागेश्वर।
2. उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक,
   भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,बागेश्वर।

विषय:- खडि.या खनन सत्र के उपरांत भी बने गड्ढों का समतलीकरण न किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-1188/तीस-खनन/ 2020-21 दिनांक 28.9.2021 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिससे श्री आनंद सिंह कालाकोटी को स्वीकृत खनन क्षेत्रान्तर्गत जे0सी0बी0 मशीन से अवैज्ञानिक तरह से खनन कार्य किये जाने के कारण आवासीय भवनों को खतरा उत्पन्न होने तथा कई आवासीय भवनों में दरारें आ आने,खनन उपरान्त गढढों का समतलीकरण नहीं किये जाने तथा गढढों में पानी भरे होने के कारण आस-पास की भूमि में दरारें,भूस्खलन एवं सार्वजनिक रास्ते क्षतिग्रस्त हो जाने एवं नाप खेतों से खनन के एवज में दिये जाने वाले मुआवजे की राशि भी ग्रामीणों को न दिये जाने के कारण खनन शर्तों के परिपालन के साथ-साथ उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पारिपालन नही किये जाने के फलस्वरूप पट्टाधारक को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के साथ-साथ आगामी खनन सत्र में अग्रिम आदेशों तक उसके खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य पर रोक लगायी गयी है।

उक्त नोटिस के क्रम में श्री आनंद सिंह कालाकोटी पट्टाधारक पपों सोपस्टोन माईन, तहसील व जिला बागेश्वर द्वारा दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पट्टाधारक द्वारा उपजिलाधिकारी बागेश्वर की जाँच /नोटिस दिनांक 28.09.2021 के क्रम में समस्त कमियों का निराकरण कर लिया गया है अथवा नहीं,के संबंध में अपनी संयुक्त स्थलीय सत्यापन आख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें,ताकि तद्नुसार प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्न–यथोक्त।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005
के अन्तर्गत छाया प्रति सत्यापित
लोक सूचना अधिकारी
जिला कार्यालय बागेश्वर

प्रभारी अधिकारी(खनन),
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

(31) (91)

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्याः–68 /तीस–खनन/2021–22 दिनांक 3 /11 / 2022

1.उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

2.उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्मइकाई,बागेश्वर।

विषयः– खड़िया खनन सत्र के उपरांत भी बने गड्ढों को समतलीकरण न किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक उपजिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्र संख्या–1244/रीडर–खनन जॉच/2021–22 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके अंतर्गत पट्टाधारक श्री आनंद सिंह कालाकोटी सोपस्टोन माइन, पपों, तहसील बागेश्वर के खनन क्षेत्र के दिनांक 01.09.2022 को उपनिदेशक, खनन,तहसीलदार,बागेश्वर द्वारा संपन्न संयुक्त निरीक्षण की आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रकरण में वर्तमान अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः यथानिर्देश प्रकरण में वर्तमान अद्यतन स्थिति से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005
के अन्तर्गत छाया प्रति सत्यापित
लोक सूचना अधिकारी
जिला कार्यालय बागेश्वर

प्रभारी अधिकारी,खनन
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

32

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP ₹25 1166894 BAR COUNCIL OF DELHI TWENTYFIVE RUPEES

FIR No. ________ C.No ________

U/S ________

P.S. ________

Distt. ________

IN THE COURT OF NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Suit/Appeal No. OA/453/23 JURISDICTON of 20

In re :-

RAGHUBIR SINGH GARIA Plaintiff / Apptt/Petitioner/Complainant

VERSUS

STATE OF UTTRAKHAND. Defendant/Respondent/Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/ / We Raghubir Singh Garia, S/o Lt. Sh. Daulat Singh, R/o C-7/5, Sector-5, Rohini, Delhi.

The above named Applicant do hereby appoint

ABHEET PAWAN CHOUDHARY ADVOCATE Enrl. No. D/5568/22 Mob. No. 9870364430

P.K. DASH & ASSOCIATES
Advocates
Ch. No. 821, 8th Floor, Lawyers Chambers
Block, Rohini Courts, Delhi-110085
Mobile No. 9968169409, 9953929409
E-mail: pratapkdash@gmail.com

Truti Bhardwaj Adv.
D/970/2024

(herein after called the advocate/s)to be my/ourAdvocate in the above-noted case authorise him :-

To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party

To withdrsw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings

The deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do al other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorising him to exercise the power and-authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the powerof attorney on our behalf.

₹2 NCT OF DELHI COURT FEE DLCT193007SC2448J 15-MAR-2024

And i/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/ourown acts, as if done by me/us to all .ntents and purpose.

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate of his substitute responsible for the result of the said case The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court I/We hereby agree that once the fee is paid, I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereuntoset my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this..........1.......... day

Of..........4..........20.24.... Accepted subject to the terms of the fees.

Advocate D/5568/22 Client Client

I Identify The Signature/Thumb Impression Of Below Mentioned Person, Signed In My Presence. The Client.